सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. **अपील संख्याः 44/14** **निर्णय दिनांक**

1. सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम जाति मेधवाल निवासी चक 18 केएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खाजुवाला

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 08–01–2014
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपनिवेशन उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय दिनांक 08–01–2014 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट की आवंटितशुदा खातेदारी भूमि को एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

—2—

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला द्वारा चक 18 केएलडी क मुरब्बा नम्बर 34/54 के किला न म्बर 16 ता 18, 22 की 4 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 23 ता 25 की 3 बीघा अनकमाण्ड भूमि कुल 7 बीघा भूमि का दिनांक 20—01—2009 को मिडियम पेच के तहत आवंटन किया गया। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा प्रथम किश्त दिनांक 20—01—2009 को ही अपीलांट द्वारा जमा करवा दी गई थी। जिसके आधार पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 05—02—2009 को आवंटन आदेश भी जारी कर दिया गया। आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का इंतकाल संख्या 19 भी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। अपीलांट उक्त आवंटन के पश्चात् से ही वादगत् भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पक्ष में खातेदारी सनद् भी जारी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे नोटिस दिया जाना व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। जब आवंटन की तमाम नियमों की पालना उपरान्त स्वयं अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19—01—2013 को उक्त भूमि की खातेदारी प्रदान कर दी गई थी तो ऐसी स्थिति में खातेदारी आदेश के पश्चात् आवंटन नियमों के तहत कार्यवाही संभव नहीं थी तथा कोई भी कार्यवाही टिनेन्सी एक्ट के तहत की जा सकती थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस अपीलांट को जारी नहीं किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश लेखा शाखा के ऑडिट पैरा के आधार पर यह मानते हुए किया गया है कि उक्त भूमि वर्ष 1999 के राजपत्र में प्रकाशित होने के बावजूद भी मध्यमपेच में आवंटन कर दिया गया जो गलत है। यदि अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलांट तत्समय ही स्थिति स्पष्ट कर देता तथा आवंटन निरस्त किये जाने की स्थिति ही नहीं बनती। क्योंकि वर्ष 2000 से पूर्व 5 बीघा कमाण्ड व 10 बीघा अनकमाण्ड भूमि को टुकड़ों में आवंटन करने के लिए आवंटन नियम 1975 में नियम 14(क) के प्रावधान लागू कर मध्यम पेच आवंटन में आवंटन का नियम बनाया गया और

ऐसे टुकड़ों का आवंटन करने के प्रावधान अनुसार आवंटन किये जाने लगे। उक्त प्रावधान अनुसार ही इस सीमा तक के आवंटन योग्य भूमि मिडियम पेच के तहत आवंटित की जाने लगी। इसमें राजपत्र में प्रकाशन होने की कोई बाधा नहीं है। इस संबंध में विभागीय परिपत्र द्वारा स्पष्टीकरण भी जारी किये गये है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र लेखा शाखा के ऑडिट पैरा के आधार पर अपीलांट का आवंटन एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। यदि लेखा शाखा द्वारा अपीलांट के आवंटन के संबंध में कोई ऑडिट पैरा बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम अदालत मातहत को अपीलांट को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जैसा कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नहीं किया गया है। यदि वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित थी या वादगत् भूमि के संबंध में कोई अन्तर राशि निकलती थी, तो अपीलांट उक्त अंतर राशि को जमा करवाने हेतु भी तैयार था व आज भी तैयार है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय की आदेश दिनांक 08—01—2014 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2012 पार्ट I पेज 212 व आरआरटी 2001 पार्ट I पेज 642 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—1—2014 के विरूद्व अपील दिनांक 18—2—14 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो विशेष आवंटन

हेतु आरक्षित भूमि थी जिसका आवंटन मिडियम पेच के तहत नहीं किया जा

सकता था। उक्त आक्षेप लेखा शाखा द्वारा ऑडिट पैराज में लिया गया है। उक्त ऑडिट पैराज के परिप्रेक्ष्य में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है जो उचित आदेश है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को दिनांक 20–01–2009 को चक 18 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 34/54 के किला नम्बर 16 ता 18, 22 की 4 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 23 ता 25 की 3 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन मिडियम पेच के तहत किया गया था। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाते हुए खातेदारी सनद् प्राप्त की जा चुकी है।

(2) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन मिडियम पेच के तहत किया गया था। उक्त आवंटन पश्चात् राजस्व लेखा, आन्तरिक लेखा जॉच दल(आय) राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, खाजुवला के न्यायालय का निरिक्षण दिनांक 09–04–2008 से 11–04–2008 को किये जाने पर ऑडिट पैरा संख्या 4 बनाते हुए विशेष आवंटन हेतु अधिसूचित भू–खण्ड का मिडियम पेच के रूप में आवंटन होने से तथा अधिसूचित दर से राशि वसूल नहीं होने से राजहानि रूपये 73280/– दर्शाई गई है।

(3) उक्त पैराज में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि पटवारी एवं तहसीलदार ने उक्त रकबे को विशेष आवंटन हेतु गजट दिनांक 15–07–1999 में अधिसूचित होना बताया गया है तथा गजट दिनांक 15–07–1999 के अवलोकन से भी पृष्ठ संख्या 18 पर मुरब्बा नम्बर 34/54 का 4 बीघा कमाण्ड व 3 बीघा अनकमाण्ड विशेष आवंटन हेतु अधिसूचित है।

(4) जब वादगत् भूमि अपीलांट के आवंटन के समय विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित थी तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का मिडियम पेच आवंटन में उपलब्ध ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया जाना जो विशेष आवंटन के तहत आरक्षित भूमि थी ऐसा आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य व

एबईनिशियोवाईड आवंटन की श्रेणी का आवंटन है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन की वह शेष राशि जमा करवाने हेतु तैयार है बेमानी हो जाता है क्योंकि उक्त भूमि मिडियम पेच आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी तथा विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का मध्यमपेच आवंटन के रूप में आवंटन के लिए अनुमत नहीं है।

(5) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—01—2009 के माध्यम से अपीलांट को विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन मिडियमपेच के तहत किया गया है। जिसके आवंटन का क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। उक्त आराजी विशेष आवंटन के तहत आवंटित किये जाने से राज्य को अधिक आय प्राप्त होना सुनिश्चित था। ऐसी स्थिति में अपीलांट के उक्त आवंटन से राजहित का भी नुकसान हुआ है तथा आवंटन विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपीलांट का आवंटन अदालत मातहत द्वारा आन्तरिक लेखा जॉच दल (आय) अवधि 09/2009 की पालना में आक्षेप संख्या 4 के अनुसरण में विधि अनुरूप खारिज किया गया है। उक्त आन्तरिक लेखा जॉच दल(आय) द्वारा अधिनस्थ न्यायालय का निरीक्षण इसी लिए किया जाता है कि यदि उनके द्वारा कोई अनियमित कार्यवाही करते हुए ऐसा कृत्य किया गया हो विधि के अनुरूप न होते हुए राजहित का नुकसान किया गया हो तो ऐसी अनियमितता को ध्यान में लाते हुए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत आन्तरिक लेखा जॉच दल द्वारा लगाये गये आक्षेप की पालना में अपीलांट का आवंटन विधि अनुरूप नही मानते हुए अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—01—2014 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर